झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा) सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य में विभागीय संकल्प संख्या—21(HSN) दिनांक—06.01.2022 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा) के माध्यम से राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु "झारखण्ड स्वास्थ्य प्रहरी" कार्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।

2. वर्त्तमान में विभागीय संकल्प संख्या—21(HSN) दिनांक—06.01.2022 द्वारा सहियाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों के एवज में उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में सामुदायिक नियमित गतिविधियों, जैसे बैठकें/बही खाता संधारण, आदि के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2000/—रु० एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह अधिकतम 1000/—रु प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। सहियाओं के द्वारा की जाने वाली अन्य नियमित गतिविधियों के विरूद्ध अनुमान्य प्रोत्साहन राशि NHM के तहत सभी वर्णित कार्य जो इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है। सहिया साथी/BTT & STT को NHM के तहत गतिविधियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

3. सहिया/सहिया साथी/BTT /STT को राज्य योजना मद से अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशिः—

3.1 विभागीय संकल्प संख्या—21(HSN) दिनांक—06.01.2022 की कंडिका 9 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में सहिया, सहिया साथी, स्वतंत्र साधन सेवी यथा BTT एवं STT के वार्षिक कार्य प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य योजना मद से निम्नवत् कॉलम 6 के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:—

क्र०	पदनाम	वर्तमान कार्यबल	वर्तमान प्रोत्साहन राशि/मानदेय (NHM द्वारा) (रू० में)	वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (रू० में) कार्य के आधार पर अधिकतम	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (रू० में) कार्य के आधार पर अधिकतम	अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि हेतु कुल वार्षिक वित्तीय भार (रू० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहिया	ग्रामीण 39964 शहरी 3000	2000/—प्रति माह	1000/— प्रति माह	2000/— प्रति माह	10311.36 लाख
2	सहिया साथी	ग्रामीण 2295 शहरी 125	375/— प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	शून्य	50/— प्रति दिन	348.42 लाख

127(21)
19.09.2024

3	BTT प्रखण्ड प्रशिक्षक दल	ग्रामीण 388 शहरी 44 FP 194 RKSK 73	650/– प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	शून्य	80/– प्रति दिन	161.05 लाख
4	STT राज्य प्रशिक्षक दल	48	850/– प्रतिदिन (प्रत्येक माह अधिकतम 24 दिनों के लिए)	शून्य	100/– प्रति दिन	13.82 लाख
कुल वित्तीय भार						10834.65 लाख

अतः उक्त के आलोक में ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा), सहिया साथी, स्वतंत्र साधन सेवी यथा BTT एवं STT को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में होने वाले अनुमानित व्यय में लगभग 10834.65 लाख (एक सौ आठ करोड़ चौतीस लाख पैसठ हजार) रूपये की राशि के वार्षिक व्यय की संभावित गणना की गई।

3.2 प्रसंगाधीन योजना अन्तर्गत अनुमान्य प्रोत्साहन राशि ससमय सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी यथा **BTT** एवं **STT** को सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रोत्साहन राशि बजटीय मुख्य शीर्ष –2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–001–निदेशक और प्रशासन–94–पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि–07–अन्य व्यय 59–अन्य व्यय (विपत्र कोड 20एस 2210–01–001–94–00–07–59) एवं मुख्य शीर्ष –2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –94–पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि–07–अन्य व्यय 54–एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड 20एस 2210–01–796–94–00–07–54) अथवा अन्य सुसंगत बजटीय शीर्ष से विकलनीय होगा।

5. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.09.2024 के बैठक में मद संख्या–51 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19/9/24

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

127(21)
19.09.2024

ज्ञापांक–21-NHM(HD)-12-01/2024– 127 (21) राँची/दिनांकः– 19.09.2024

प्रतिलिपि–विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–21-NHM(HD)-12-01/2024– 127 (21) राँची/दिनांकः– 19.09.2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 250 (दो सौ पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–21-NHM(HD)-12-01/2024– 127 (21) राँची/दिनांकः– 19.09.2024

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–21-NHM(HD)-12-01/2024– 127 (21) राँची/दिनांकः– 19.09.2024

प्रतिलिपि–अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ निदेशक, रिम्स/ निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर/ प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/प्राचार्य/अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो–झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/ नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना/नोडल पदाधिकारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।